तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 178–ए/2025 अपील अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2025/250)

अनवानः

1. पतराम पुत्र श्री देवाराम निवासी वार्ड नं. 06, 2 एसटीवाई, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहंसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री लालचंद निवासी वार्ड नं. 10, 3 एमएलडी–बी, घड़साना, श्रीगंगानगर।

20.01.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्राथमिक आपति शामिल पत्रावली किया। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति एवं जवाब प्राथमिक पर बहस उभय सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि उपरोक्त अनुवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष केवल मात्र जिला कलक्टर न्यायालय के द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेशों के विरूद्ध ही अपील संधारण योग्य है। उपरोक्तानुसार अपील क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत की गई है तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। स्थगन आदेश से अप्रार्थी के हित सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। इसलिए पत्रावली में क्षेत्राधिकार के बिन्दु को प्रथम स्टेज पर ही तय किया जाना आवश्यक है। अतः अपील में पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निरस्त फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अपील अपीलांट की सुनवाई का क्षेत्रांधिकार इस न्यायालय को ही है। प्रकरण धारा 75 की श्रेणी में आता है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। पत्रावली में अंतिम बहस होनी है। अंतिम बहस की स्टेज पर प्राथमिक आपति पेश व तय नहीं की जा सकती है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्राथमिक आपति निरस्त कर अंतिम बहस सुनने की कृपा करें।

हमने अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति व जवाब प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.10.2025 में जारी स्थगन आदेश में वर्णित वादगत भूमि की आगामी 15 दिवस तक यथास्थिति बनाई रखी जाने के निर्देश के साथ अपील मूल ही सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलांट को लौटायी जाती है। पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

मूल पत्रावली प्राप्त की
Anil Tanwar
Advocate
30/1/26